न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 478 / 2004 / सवाई माधोपुर

1— मदनलाल पुत्र किशनदास
2— गुलाबचन्द पुत्र किशनदास (मृतक)
जरिये वारिसान :—
2 / 1. मु0 मनभर देवी बेवा गुलाबचन्द
2 / 2. विनोद पुत्र गुलाबचन्द
2 / 3. सुगना देवी पुत्री गुलाबचन्द
2 / 4. किरण देवी पुत्री गुलाबचन्द
समस्त जाति बैरवा निवासी कुशतला तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

.....अपीलांट्स

बनाम

1— मत्स्य विकास अधिकारी, सवाई माधोपुर।
2— निदेशक राजस्थान मत्स्य विभाग, गांधीनगर टोंक रोड़, जयपुर।
3— राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर सवाई माधोपुर।

.....रेस्पोडेंट्स

खण्ड—पीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :
श्री रमजान मौहम्मद अधिवक्ता अपीलांट।
श्रीमती पूनम माथुर, अति0राज0 अधिवक्ता रेस्पोडेंट सरकार।

———

निर्णय

दिनांकः— 17 दिसम्बर, 2019

यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 14 / 2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30—10—2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट्स के पिता किशना उर्फ किशनदास ने एक वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 व

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण, विचारण न्यायालय उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 327 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा व खसरा नंबर 328 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम कुशतला वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात है। मुतदाविया आराजियात मुई बांध से लगी हुई है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2/प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त आराजियात में जबरन बिना भूमि को अवाप्त किए हुए एकवर्ष से मत्स्य फार्म लगाने हेतु प्रयास कर रहे है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाई जावे। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27–9–2002 द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जिन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30–10–2003 द्वारा अपील अपीलांट्स खारिज कर दी। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 30–10–2003 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में समक्ष पेश की है।

3– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण/वादीगण ने अपील–मीमों में अंकित अपील आधारों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि आराजी मुतनाजा अनुसूचित जाति की खातेदारी की आराजी है जिस पर विपक्षी को कोई अधिकार अर्जित नहीं हो सकते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 के तहत् अनुसूचित जाति की आराजी पर किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई हक हकूक पैदा नहीं होते हैं। विचारण न्यायालय ने जो तनकी संख्या 1 कायम की है उसमें खसरा नंबर 325 के संबंध में कोई विवाद नहीं है फिर भी विचारण न्यायालय ने गलत रूप से खसरा नंबर की तनकी बनाई है, जबकि वाद वास्तव में खसरा नंबर 327 व 328 का है। विचारण न्यायालय ने तनकी पर कोई फाईंडिग नहीं दी है केवल तनकी बनाई है, जो निर्णय विधिसम्मत नहीं है तथा आदेश 41 नियम 31 सी.पी.सी. आर.एल.डब्ल्यू 1966 पेज 31 की नजीर के विरूद्ध पारित किया गया निर्णय है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 5 नियम 20 सी.पी.सी. के तहत बने नियमों को इग्नोर किया है तथा आर.आर.डी. 1999

पेज 136 के विपरीत बिना माईण्ड अपलाई किये निर्णय पारित किया है। उन्होंने यह भी कथन किया कि स्वयं रेस्पोडेंट संख्या–1/प्रतिवादी मत्स्य विकास अधिकारी ने अपने बयानों में यह माना है कि पिछले 10 वर्षो से मत्स्य पालन विवादित भूमि पर नहीं होता है। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी मत्स्य विभाग का विवादित भूमि पर कब्जा भी नहीं माना है और प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम खारिज किया है। अपीलांट अपने बुजुर्गो के समय से बतौर कब्जे काश्त में चले आ रहे हैं जब तक पिता किशनदास जिन्दा थे उनके साथ काश्त करते थे और इनके इंतकाल के पश्चात अपीलांट मौजूदा सूरत में कब्जे काश्त में है, जो राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावरी संवत 2044, 2050–53, 2058–61 में इन्द्राज है। प्रतिवादी रेस्पोडेंट ने अपने कब्जे काश्त के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं बल्कि मनगड़न्त कहानी रचकर काउण्टर कलेम पेश किया गया है, जो विचारण न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है जिसकी कोई चाराजोई प्रतिवादी/रेस्पोडेंट द्वारा नहीं की गई है। उनका यह भी कथन है कि आराजी मुतनाजा का स्थानांतरण तीन तरीकों से हो सकता है एक –सक्षम न्यायालय के निर्णय व डिक्री के आधार पर, दूसरा उत्तराधिकार के आधार पर तथा तीसरा विक्रय पत्र, वसीयत एवं दान पत्र आदि के आधार पर। लेकिन उपरोक्त कोई भी आधार न होते हुए भी रेस्पोडेंट का कब्जा अवैधानिक रूप से मानकर तहत अदालतों द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जो कि विधिक प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अन्त में उनका निवेदन है कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–10–2003 तथा उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–9–2002 अपास्त किये जावें। अपने तर्को के समर्थन में उन्होंने 2017 आरबीजे पेज 189, 2017 आआरडी पेज 15, 2012 (19) आरबीजे पेज 420 तथा 2017 आरबीजे 625 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

5– विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं है और कब्जे के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत, न्यायसंगत तथा तर्कसंगत हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष

समवर्ती होने के कारण द्वितीय अपील के माध्यम से इनमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील निरस्त की जावे।

6— हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का आद्योपान्त परिशीलन किया।

7— पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2043—46 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 327, 328 व अन्य खसरा नम्बर के साथ किशनदास पुत्र गणेश कौम चमार दर्ज है। विवादित भूमि पर वादी खातेदार है। नक्शा ट्रेस Ex.D1 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 327 व 328 पर नहर तथा मतस्य विभाग को दर्शाया है। शेष भूमि पड़त दिखाई है। DW-1 जयसिंह ने अपने बयानों में कहा है कि मतस्य विभाग का विवादित भूमि पर वर्ष 1967 से कब्जा है। इस पर विभाग ने डेढ़ से दो लाख रूपये खर्च भी किये हैं। अतः स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर विपक्षीगण का कब्जा है और वह भी 50 वर्ष पुराना है।

8— राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत स्थाई निषेधाज्ञा के लिए अपीलांट्स / वादी का कब्जा होना आवश्यक है। इस प्रकरण में रिकार्ड व गवाहों के बयानों से यह सिद्ध है कि विवादित भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा नहीं है और कब्जे के अभाव में अपीलांट्स के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना संभव नहीं है। अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता ने जो न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत हैं, वे इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। अतः अपील पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

9— परिणामतः अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30—10—2003 तथा उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27—9—2002 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य